मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ. 5-3/2002/1/वे.आ.प्र. भोपाल, दिनांक 2 अगस्त, 2002

5 अगस्त, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :—राज्य शासन के अधीनस्थ विभागों/स्थापनाओं में कार्यरत् अतिशेष वाहन चालकों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में कार्यरत अतिशेष वाहन चालकों के लिये राज्य शासन निम्नानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करता है :—

(1) योजना का नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति :

(1) यह योजना मध्यप्रदेश शासन के अधीनस्थ कार्यरत् अतिशेष वाहन चालकों के लिये "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2002" कहलाएगी।

(2) यह योजना, इस ज्ञाप के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

(3) इस योजना के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, यह योजना राज्य शासन के विभिन्न विभागों/स्थापनाओं में नियुक्त/सेवारत् सभी अतिशेष नियमित वाहन चालकों तथा कार्यभारित/आकस्मिक सेवाओं के वाहन चालकों को लागू होगी।

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की शर्तें :

(1) कोई भी अतिशेष नियमित वाहन चालक तथा कार्यभारित/आकस्मिकता सेवा के वाहन चालक बिना किसी आयु तथा अर्हकारी सेवा की सीमा की शर्त के अपनी इच्छा से इस प्रयोजन के लिए आवेदन-पत्र देकर इस योजना का चयन कर सकता है।

(2) ऐसे वाहन चालक को इन नियमों के तहत् सेवानिवृत्ति की पात्रता नहीं होगी जो निलम्बित हो अथवा जिसके खिलाफ अभियोजन चल रहा हो। अगर अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई हो, तो अभियोजन के संबंध में निर्णय होने के पश्चात् ही सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) जिस वाहन चालक के खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो, या शुरू की जाने वाली हो, उसके मामले में प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। अगर आरोप इस तरह के हों कि संबंधित वाहन चालक को सेवा से हटाने या पदच्युत किये जाने की संभावना हो, तो सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावेगा और विभागीय जाँच जल्दी पूरी की जावेगी।